[2019] 10 एस. सी. आर 721

गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

वी.

कृष्ण नाथ ए। (मृत) एलआरएस के माध्यम से। और अन्य

(2010 की सिविल अपील No.10596)

अगस्त 20,2019

[अरुण मिश्रा, एस. अब्दुल नजीर और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960: एस. 109 परिसमापन कार्यवाही की समाप्ति-परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति-सदस्यों के खिलाफ स्थापित/लंबित बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही पर प्रभाव-आयोजितः प्रतिपूर्ति की अवधारणा अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ के खिलाफ एक उपाय है जब अदालत द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है, तो किसी भी व्यक्ति को उसकी ओर से बिना किसी गलती के पीड़ित नहीं किया जा सकता है और एक व्यक्ति जिसे दायित्व है, लेकिन अंतरिम रोक के लिए, अदालत के अंतरिम आदेशों के आधार पर लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-इस प्रकार, जिन सदस्यों ने अपील में या वसूली की कार्यवाही पर रोक प्राप्त की है या मामला लंबित है, वे इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं कि अधिनियम के तहत परिसमापक के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है-एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद, पंजीयक को रिपोर्ट के संदर्भ में कार्रवाई करनी होती है और ऐसी परिस्थितियों में जब वसूली के लिए कार्यवाही की जाती है।

सदस्यों के खिलाफ लंबित और सोसायटी ने अपने सदस्य के लिए बैंकों से ऋण लिया है, वास्तविक धन लेनदार बैंक को जाना पड़ता है ऐसे मामलों में पंजीयक के लिए यह उचित होगा कि

बैंकों को कार्यवाही की सूचना भेजें-तथ्यों पर, बैंक स्वयं एक प्रमुख ऋणदाता सह परिसमापक है-कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकती है इसलिए, बैंक के लिए वसूली की कार्यवाही जारी रखने और चूक करने वाले सदस्यों से वसूली करने के लिए खुला है-केवल सोसायटी के परिसमापन पर, या इस तथ्य पर कि परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है, ऋणों के लिए सदस्यों की देयता को मिटा दिया गया नहीं कहा जा सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 धारा के तहत समापन की समाप्ति

109 महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है ताकि इसके उद्देश्य को विफल किया जा सके।

राशि की वसूली का विधायी इरादा। चूककर्ता सदस्यों से सार्वजनिक धन की वसूली नितांत आवश्यक है जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी-बैंक को भारी वित्तीय नुकसान होगा। न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अंतरिम रोक इस पर नहीं आ सकती है

बैंक का पूर्वाग्रह। इस प्रकार, धारा 109 के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि वसूली के लिए कार्यवाहियों को जारी रखा जा सके। अदालत के अंतरिम आदेश के रूप में

अधिनियम की धारा 109 के प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसका उपयोग चूक करने वाले सदस्यों से वसूली को रोकने के लिए नहीं किया जाता है। [पैरा 15,16] [731-ई-जी]

1.2 तत्काल मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया है और परिसमापक ने

धारा 109 (1) के तहत निर्धारित, एक बार में एक वर्ष और कुल मिलाकर चार वर्ष से अधिक नहीं, और अधिकतम 10 वर्षों के लिए। यदि समय नहीं बढ़ाया जाता है, तो समापन 6 साल की समाप्ति पर या विस्तारित अवधि के अंत में समाप्त हो जाता है। कुल अवधि 10 वर्ष हो सकती है। धारा 109 के दूसरे परंतुक में कहा गया है - यह स्पष्ट है कि यदि पंजीयक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि परिसमापक द्वारा परिसमापन का कार्य उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से पूरा नहीं किया जा सका है, तो वह परिसमापक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद, यदि पंजीयक संतुष्ट है कि परिसंपत्तियों, संपत्तियों की प्राप्ति, संपत्तियों की बिक्री

अभी भी एहसास होना बाकी है, वह परिसमापक को निर्देशित करेगा

पूरा काम पूरा करें और केवल समापन के उद्देश्यों के लिए गतिविधियों को पूरा करें और परिसमापक से रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। [पैरा 17] [731-एच; 732-ए-डी] गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड।

वी. कृष्ण नाथ ए। (घ) टीएचआर। एलआरएस।

1.3 अधिनियम की धारा 109 (2) में एक गैर-बाध्यकारी खंड है जो पंजीयक को परिसमापन को समाप्त करने का अधिकार देता है।

परिसमापक से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही। परिसमापक रिपोर्ट में बताएगा कि सोसाइटी की परिसमापन कार्यवाही बंद कर दी गई है, और परिसमाप्ति कैसे की गई है और सोसाइटी की संपत्ति और दावों का निपटान कैसे किया गया है और इसमें परिसमाप्ति के खाते का सारांश दिखाने वाला एक बयान शामिल होगा।

1.4 यह स्पष्ट है कि परिसमापन कार्यवाहियों की समाप्ति पर सदस्यों का उनके द्वारा लिए गए ऋणों के लिए दायित्व समाप्त नहीं होता है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार समापन अवधि समाप्त हो जाने के बाद,

सदस्यों द्वारा उनके द्वारा प्राप्त ऋण जो उनके हाथों में है और जिसके लिए वसूली की कार्यवाही लंबित है, समाप्त हो जाएगी। उनके खिलाफ वसूली कार्यवाही की कोई स्वतः समाप्ति नहीं सदस्यों पर विचार किया जाता है। दूसरी ओर, सोसाइटी के परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि पूरी होने पर, सदस्यों के हिस्से या ब्याज सहित अपनी देनदारियों का भुगतान करने के बाद परिसमापन में सोसाइटी के क्रेडिट में खड़ी राशि के बारे में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रकार, परिसमापन के मामले में भी अधिशेष के प्रति जवाबदेही बनी रहती है और देनदारियां समाप्त नहीं होती हैं। भले ही सोसायटी के परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो, लेकिन इससे वसूली की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है जो शुरू की गई है और अपीलें लंबित हैं। [पैरा 20] [732-एच;

733 - ए-सी] 1.5 पुनर्स्थापन की अवधारणा एक सामान्य कानून सिद्धांत है और यह अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ के खिलाफ एक उपाय है। यह एक स्थापित कानून है कि जब अदालत द्वारा कार्यवाही पर रोक होती है, तो किसी भी व्यक्ति को उसकी ओर से बिना किसी गलती के पीड़ित नहीं किया जा सकता है और एक व्यक्ति जिसका दायित्व है लेकिन अंतरिम रोक के लिए, उसे अंतरिम आदेशों के आधार पर लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अदालत से। अदालत का उपयोग किसी वादी द्वारा अवैधता को कायम रखने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो कानून के दाहिने तरफ है,

यह महसूस नहीं होना चाहिए कि मुकदमेबाजी में घसीटे जाने की स्थिति में, [2019] 10 एस. सी. आर.

और जीतता है, वह 20 या 30 वर्षों के बाद एक वास्तविक लाभकर्ता के रूप में एक हारने वाला और गलत करने वाला बन जाएगा। इस प्रकार, जिन सदस्यों ने अपील में या वसूली की कार्यवाही पर रोक प्राप्त कर ली है या मामला लंबित है, वे इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं कि अधिनियम के तहत परिसमापक के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। [पैरा 23] [734-सी-डी]

अमरजीत सिंह बनाम। देवी रतन (2010) 1 एससीसी 417: [2009] 15 एस. सी. आर. 1010; साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम राज्य

एम. पी. (2003) 8 एस. सी. सी. 648: [2003] 4 पूरक। एससीआर 651

- संदर्भित किया गया।

1.6 एक बार रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद, पंजीयक को रिपोर्ट के संदर्भ में और ऐसी परिस्थितियों में कार्रवाई करनी होती है जब

सदस्यों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही लंबित है और सोसायटी ने अपने सदस्य के लिए बैंकों से ऋण लिया है, वास्तविक धन लेनदार को जाना है यानी उस बैंक को जाना है जो सदस्यों के हाथों में सार्वजनिक धन की वसूली से लाभान्वित होने वाला है। ऐसे मामलों में यह उचित होगा कि

पंजीयक किसी ऐसे व्यक्ति को कार्यवाही की सूचना भेजेगा जो

अंत तक पहुँचें। इस प्रकार, यह बैंक के लिए खुला है कि वह वसूली की कार्यवाही जारी रखे और चूक से वसूली करे। सदस्य। केवल सोसायटी के परिसमापन पर, या इस तथ्य पर कि परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है, ऋणों के लिए सदस्यों के दायित्व को समाप्त नहीं कहा जा सकता है। मनमाने तरीके से ऋण का वितरण और वसूली में विफलता ही वह आधार था जिसके आधार पर सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया था। [पैरा 24] [734-ई-जी]

1.7 उच्च न्यायालय का निर्णय इसके विपरीत है,

कार्यवाही समाप्त हो गई है। ऐसे मामलों में नोटिस जारी किया जाना चाहिए ऋणदाताओं और उन व्यक्तियों के लिए जिनके लाभ की वसूली की जानी है, अदालत/न्यायाधिकरणों/वसूली अधिकारियों आदि के साधन में लंबित कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए पंजीयक। अपीलार्थी बैंक लंबित कार्यवाही जारी रख सकता है।

[पैरा 25] [735-ए-बी] गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। वी. कृष्ण नाथ ए। (घ) टीएचआर। एलआरएस।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 15 एससीआर 1010

संदर्भित किया गया।

पै

रा 21

[2003] 4 पूरक। एससीआर 651

संदर्भित किया गया।

पै

रा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 10596

2010 से।

उच्च न्यायालय के 29.11.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2001 की रिट याचिका संख्या 358 में गोवा में बॉम्बे विश्वविद्यालय की।

अरविंद शर्मा, अनिता शर्मा, सौरभ मिश्रा, अभिषेक सिंह,

अरुण वर्मा, ओंकार सिंह, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री शोभा गुप्ता, बोनी मेहरा, सुश्री ए. सुभाशिनी, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. वर्तमान मामले में सवाल यह है कि क्या इसके तहत

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 109 के प्रावधान परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, सदस्यों के खिलाफ स्थापित/लंबित बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही बंद हो जाएगी।

2. गोवा, दमन और दीव सहकारी मत्स्य पालन संघ लिमिटेड

(इसके बाद 'सोसायटी' के रूप में संदर्भित) अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था क्योंकि यह गोवा में लागू होता है। सोसायटी का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और मछुआरों को आवश्यक वित्तीय

सहायता प्रदान करके उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना था, ताकि वे मछली पालन में सक्षम हो सकें।

यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं/नौकाओं की खरीद करें। 1974 से 1980 की अवधि के दौरान, सोसायटी ने गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से ऋण जुटाकर अपने सदस्यों को इंजन/पतवार, चिमटे, जाल आदि खरीदने के लिए <ID1 लाख की सीमा तक ऋण दिया।

3. इसके सदस्यों को ऋण देते समय, गंभीर अनियमितताएँ थीं

सोसायटी के निदेशक मंडल द्वारा प्रतिबद्ध। जिसके कारण, सहकारी समितियों के पंजीयक ने कदाचार मामला संख्या 4/1/80 दायर किया।

4. धारा 83 (1) के तहत की गई जांच के आधार पर

अधिनियम और दिनांक 1.8.1980 की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, सहकारी समितियों के पंजीयक, गोवा ने धारा के तहत 23.8.1985 पर एक अंतरिम आदेश पारित किया।

102 (1) (क) सोसायटी को समाप्त करने के लिए अधिनियम। [2019] 10 एस. सी. आर. के पंजीयक

सहकारी समितियों ने 24.1.1986 पर धारा 102 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश की पुष्टि की और गोवा के अतिरिक्त कलेक्टर को परिसमापक के रूप में नियुक्त किया, जो 9.12.1991 तक जारी रहे। चूंकि परिसमापन की कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी, इसलिए कुलसचिव ने सहकारी समितियों के सहायक कुलसचिव श्री बी. एन. पठान को परिसमापक के रूप में नियुक्त किया, जो कुल परिसमापक 1 तक बने रहे। एक और परिसमापक नियुक्त किया गया था

21.2.1992 पर पंजीयक, जो 15.10.1995 तक जारी रहा। पंजीयक ने सोसायटी के सदस्यों से ऋण की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए गोवा राज्य सहकारी बैंक को परिसमापक के रूप में नियुक्त किया।

5. लिक्विडेटर के रूप में बैंक ने 156 वसूली मामले दर्ज किए

सोसायटी के चूक करने वाले सदस्यों के खिलाफ, जिन्हें ऋण दिए गए थे। बकाया राशि को घटाकर Rs.56 मूलधन के लिए लाख और रु। 154 ब्याज के लिए लाख। चूक करने वाले सदस्यों के खिलाफ दायर 156 मामलों में से 99 अपीलों को सहकारी न्यायाधिकरण में प्राथमिकता दी गई, जो निर्णय के लिए लंबित थे। अपीलों के लंबित रहने, अदालतों द्वारा दी गई अंतरिम रोक आदि को देखते हुए वसूली पूरी नहीं की जा सकी।

6. वर्ष 2001 में, सोसायटी के चूक करने वाले सदस्यों में से एक ने गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय में 2001 की रिट याचिका दायर की। यह घोषणा करने के लिए प्रार्थना की गई थी कि सोसायटी के संबंध में समापन की कार्यवाही को 24.1.1993 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ समाप्त कर दिया गया है और उत्तरदाताओं को जारी रखने के आदेश के लिए

सोसायटी के संबंध में परिसमापन/परिसमापन कार्यवाही के साथ।

7. उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है क्योंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामले रुक जाएंगे। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और दिनांक आई. डी. 1 के आदेश के माध्यम से कहा कि अधिनियम की धारा 109 के अनुसार, परिसमापक द्वारा सभी संपत्ति का नियंत्रण लेने की तारीख से छह साल के भीतर समाप्त करने की कार्यवाही को जल्द से जल्द बंद करना होगा, जब तक कि धारा 109 के तहत पंजीयक द्वारा अवधि नहीं बढ़ाई जाती है। अधिनियम की धारा 109 (1) के तहत, पंजीयक एक बार में 1 वर्ष और कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक की अवधि नहीं बढ़ा सकता है और परिसमापक द्वारा नियंत्रण लेने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, यह माना जाएगा कि परिसमापन कार्यवाही समाप्त कर दी गई है और इसलिए, पंजीयक के पास गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

वी. कृष्ण नाथ ए। (घ) टीएचआर। एलआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

रिट याचिका की अनुमति दी गई थी और यह घोषित किया गया है कि सोसायटी के संबंध में समापन कार्यवाही को माना जाता है 24.1.1993 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ समाप्त। पंजीयक और परिसमापक को सोसायटी के संबंध में परिसमापन/परिसमापन की कार्यवाही जारी रखने से रोक दिया गया है।

8. अपीलार्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अरविंद शर्मा ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 109 के तहत निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी रिट याचिका को अनुमति देने में कानूनी रूप से गलती की है।

सदस्यों को जारी रखना होगा। सुश्री शोभा गुप्ता, एल. आर. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। उत्तरदाता नं. 1 , प्रस्तुत किया है कि विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है और हमें प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की योजना पर ले गया है।

9. जहां हम अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हैं, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 102 के तहत, पंजीयक को एक पारित करने का अधिकार है

समापन का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश। उसी के बारे में सोसायटी को सूचित किया जाएगा और उसके बाद पंजीयक अंतरिम आदेश को खाली या पुष्टि करते हुए अंतिम आदेश पारित कर सकता है। जब पंजीयक ने धारा 102 के तहत अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित कर दिया है, तो पंजीयक को धारा 103 के तहत किसी व्यक्ति को परिसमापक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है और उसके बाद धारा 103 (2) के तहत प्रदान किए गए अनुसार, सोसायटी सभी संपत्ति, प्रभावों और कार्रवाई योग्य दावों की अभिरक्षा और नियंत्रण को सौंप देगी, जिसमें किताबें, रिकॉर्ड और दस्तावेज शामिल हैं।

अन्य दस्तावेज़। अंतरिम की पुष्टि करने वाला अंतिम आदेश पारित होने के बाद

बंद करने के आदेश पर सोसायटी के अधिकारी धारा 103 (3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यालय खाली कर देंगे। धारा 103 (4) के प्रावधानों के अनुसार, परिसमापक, पंजीयक के सामान्य नियंत्रण के अधीन, अधिनियम की धारा 105 में उल्लिखित सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है और

पंजीयक को बिना कोई कारण बताए परिसमापक को हटाने और दूसरे को नियुक्त करने का अधिकार है। धारा 103 (5) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सोसायटी की परिसंपत्तियां परिसमापक में निहित होंगी। धारा 103 (6) एक प्रावधान करती है कि अंतरिम आदेश खाली होने की स्थिति में, व्यक्ति

परिसमापक के रूप में नियुक्त अधिकारी संपत्ति को उन अधिकारियों को सौंप देंगे जो [2019] 10 एस. सी. आर.

और समाज के "योगदानकर्ता"। जब परिसमापन आदेश प्रभावी हो जाता है, तो परिसमापक बिक्री या अन्यथा सोसायटी की परिसंपत्तियों को वसूल करने के लिए आगे बढ़ेगा, और कोई नया विवाद शुरू नहीं किया जाएगा या, यदि परिसमापन आदेश की तारीख पर लंबित है, तो सोसाइटी के खिलाफ ऐसी शर्तों पर पंजीयक की अनुमति के अलावा कार्रवाई की जाएगीः पंजीयक द्वारा लगाया जा सकता है। तथापि, पंजीयक अपने प्रस्ताव पर सोसायटी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी विवाद पर विचार कर सकता है या उसका निपटारा कर सकता है। धारा 107 में निहित प्रावधान दीवानी अदालत को अधिनियम के तहत किसी सोसायटी के समापन या विघटन से जुड़े किसी भी मामले का संज्ञान लेने से रोकते हैं। धारा 108 के तहत, परिसमापक के खातों का लेखा-परीक्षण किया जा सकता है और परिसमापक को पंजीयक को ऐसे वाउचर और जानकारी प्रस्तुत करनी होती है जिसकी आवश्यकता हो। परिसमापक एक कारण होगा

लेखापरीक्षित खातों का सारांश तैयार किया जाए और धारा 108 (2) के तहत प्रदान किए गए प्रत्येक अंशदाता को ऐसे सारांश की एक प्रति भेजी जाए।

11. धारा 109 परिसमापन कार्यवाहियों को समाप्त करने का प्रावधान करती है।

धारा 109 में निहित प्रावधान इस प्रकार हैंः

(1) सोसायटी के समापन की कार्यवाही इस प्रकार बंद की जाएगी - परिसमापक द्वारा सभी संपत्ति, प्रभावों और कार्रवाई योग्य दावों की अभिरक्षा या नियंत्रण लेने की तारीख से छह साल के भीतर जल्द से जल्द, जिनके लिए सोसाइटी हकदार है या प्रतीत होती है और सभी पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों से संबंधित है।

धारा 103 की उप-धारा (2) के तहत सोसाइटी का व्यवसाय, जब तक कि

पंजीयक द्वारा अवधि बढ़ाई जाती हैः

बशर्ते कि, पंजीयक एक बार में एक वर्ष और कुल मिलाकर चार वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई विस्तार नहीं देगा।

वी. कृष्ण नाथ ए। (घ) टीएचआर। एलआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

और तारीख से दस साल की समाप्ति के तुरंत बाद

उपरोक्त, यह मानते हुए कि परिसमापन की कार्यवाही की गई है

समाप्त कर दिया, और परिसमापन को समाप्त करने का आदेश पारित किया

कार्यवाही।

बशर्ते कि, यदि परिसमापन की समाप्ति के कारण

दस वर्ष के अंत में कार्यवाही करते हुए, पंजीयक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि धारा 105 के तहत परिसमापन का काम परिसमापक द्वारा अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से पूरा नहीं किया जा सका, वह परिसमापक से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, यदि पंजीयक संतुष्ट है कि

परिसंपत्तियों, संपत्तियों, संपत्तियों की बिक्री की अभी भी प्राप्ति बाकी है, वह परिसमापक को पूरे काम को पूरा करने और केवल समापन के उद्देश्यों के लिए गतिविधियों को पूरा करने का निर्देश देगा और परिसमापक से रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्पष्टीकरण। महाराष्ट्र सहकारी समितियाँ (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ में परिसमापन के अधीन एक सोसायटी के मामले में छह साल की अवधि उस तारीख से शुरू हुई मानी जाएगी जिस दिन परिसमापक शुरू हुआ था।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, अभिरक्षा या नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

(2) पूर्वगामी उप-धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पंजीयक परिसमापक से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिसमापन कार्यवाही को समाप्त कर देगा। की अंतिम रिपोर्ट परिसमापक यह बताएगा कि सोसायटी की परिसमापन कार्यवाही बंद कर दी गई है और परिसमापन कैसे किया गया है।

और समाज की संपत्ति और दावे किए गए हैं

निपटाया गया, और इसमें परिसमापन की लागत, परिसमापन में सोसायटी के ऋण में जमा राशि (यदि कोई हो) सहित परिसमापन के खाते का सारांश दिखाने वाला एक विवरण शामिल होगा।

की हिस्सेदारी या ब्याज सहित अपनी देनदारियों का भुगतान करने के बाद

सदस्य और सुझाव दें कि अधिशेष का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए।

(3) पंजीयक, परिसमापक से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर, परिसमापक को एक आम बैठक बुलाने का निर्देश देगा।

सोसायटी के सदस्यों को उनकी अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने के लिए "।

धारा 109 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यवाहियों को 6 साल के भीतर पूरा करना होगा।

एक बार में 1 वर्ष और कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विस्तार देने के लिए सशक्त और 10 वर्ष की समाप्ति के बाद परिसमापन कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा। उप.

धारा 109 की धारा (1) यह स्पष्ट करती है कि यदि 10 वर्षों के अंत में परिसमापन कार्यवाही की समाप्ति के कारण, पंजीयक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परिसमापक द्वारा धारा 105 के तहत परिसमापन का काम पूरा नहीं किया जा सका है, तो वह परिसमापक को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, यदि पंजीयक संतुष्ट हो जाता है कि परिसंपत्तियों, संपत्तियों की प्राप्ति और संपत्तियों की बिक्री अभी भी हासिल की जानी बाकी है, तो वह परिसमापक को पूरे काम को पूरा करने और केवल उन लोगों के लिए गतिविधियों को पूरा करने का निर्देश देगा जो परिसंपत्तियों की बिक्री कर रहे हैं। ऐसी अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट को समाप्त करने और प्रस्तुत करने का उद्देश्य

12. अधिनियम की धारा 109 (2) में गैर-अबाधित खंड है कि पंजीयक को परिसमापन की कार्यवाही को प्राप्त होने पर समाप्त करना होगा परिसमापक की अंतिम रिपोर्ट। अंतिम रिपोर्ट में परिसमापन की कार्यवाही को बंद करने और परिसमापन कैसे किया गया है, इस बारे में बताया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट में परिसमापन की लागत, सदस्यों के हिस्से या ब्याज सहित 'दायित्व का भुगतान करने के बाद' परिसमापन में सोसायटी के खाते में जमा राशि (यदि कोई हो) सहित परिसमापन के खाते का सारांश भी शामिल होगा और सुझाव दिया जाएगा कि अधिशेष का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। समाज के दायित्व पर भी विचार करना होगा।

13. धारा 109 (3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि परिसमापक की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंजीयक एक आम बैठक बुलाएगा -

सोसायटी के सदस्यों को उनकी अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। अधिनियम की धारा 110 में अधिशेष परिसंपत्तियों के निपटान का प्रावधान है जैसा कि परिसमापक की अंतिम रिपोर्ट में दिखाया गया है, जिसे पंजीयक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ अपने सदस्यों के बीच इस तरह से विभाजित किया जा सकता है जो उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया जाए। जहाँ अधिशेष को इस प्रकार विभाजित नहीं किया जाता है, वहाँ अधिशेष पंजीयक में निहित होगा।

14. मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बंद सोसायटी ने गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है।

साथ ही कृषि पुनर्वित्त विकास निगम से भी। से 1974-75 1979-80 तक, सोसायटी ने कुल रु। 155 सदस्यों को 323.81 लाख। समाज अपने कार्यों को करने में विफल रहा। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सदस्यों से ऋण की वसूली नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि बढ़ गई।

वी. कृष्ण नाथ ए। (घ) टीएचआर। एलआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

ऋण जारी करने से पहले ऋणदाताओं से मार्जिन राशि एकत्र करने में विफलता। ऋणों की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं जिसके परिणामस्वरूप बेनामी लेनदेन हुआ। गैर-पारंपरिक मछुआरों को ऋण दिए जाते थे। बर्फ कारखाने और डीजल आउटलेट के संचालन में कुप्रबंधन था। संबद्ध प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति को मजबूत करने में विफलता थी। इस प्रकार, सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा सहकारी समितियों को समाप्त करने का आदेश दिया गया था।

15. सोसायटी और परिसमापक ने सोसाइटी के उन सभी चूक करने वाले सदस्यों के खिलाफ वसूली के मामले दायर किए थे जिन्हें ऋण दिए गए थे।

बैंक ने सोसायटी को कुल मिलाकर 1 लाख रुपये की अग्रिम राशि दी और उक्त सोसायटी के परिसमापक के रूप में बैंक द्वारा कार्यभार संभालने पर, बैंक ने

मूल राशि के रूप में Rs.241 लाख और ब्याज के लिए Rs.233 लाख का बकाया। परिसमापक बैंक के प्रयासों के कारण बकाया राशि को घटाकर मूलधन के लिए Rs.37 लाख और रु। 154 ब्याज के लिए लाखों। यह उल्लेख करना उचित है कि बैंक ने आगे बताया है कि चूक करने वाले सदस्यों के खिलाफ दायर मामलों में से 42 मामलों में सहकारी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई थी जिसमें स्थगन आदेश दिए गए थे। यह भी बताया गया है कि अधिनियम की धारा 156 के तहत क्षेत्रीय वसूली कार्यालयों यानी सहायक पंजीयक, सहकारी समिति के बिक्री और वसूली अधिकारी के पास 80 मामले लंबित थे। इसलिए, अधिनियम की धारा 109 के तहत समापन की समाप्ति को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है ताकि राशि की वसूली के विधायी इरादे के उद्देश्य को विफल किया जा सके।

16. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 109 (1) के तहत समय बीतने पर वसूली की कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकती है। यह आगे है

अपीलार्थी को-बैंक। न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अंतरिम रोक बैंक के पूर्वाग्रह पर नहीं आ सकती है। इस प्रकार, धारा 109 के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि वसूली के लिए कार्यवाही जारी रखी जा सके। चूँकि न्यायालय का अंतरिम आदेश किसी भी पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए काम नहीं कर सकता है, इसलिए अधिनियम की धारा 109 के प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसका उपयोग चूक करने वाले सदस्यों से वसूली को रोकने के लिए नहीं किया जाता है। 17. तत्काल मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया है और परिसमापक को नियुक्त किया गया है

उचित व्यक्तियों को ऋण का वितरण और इसकी वसूली। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोसायटी का परिसमापन धारा 109 के तहत निर्धारित एक विशेष अवधि के बाद समाप्त हो गया है। हालांकि, अधिनियम की धारा 109 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित समय के अंत में, धारा 109 (2) के तहत आदेश के अनुसार परिसमापक से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर पंजीयक द्वारा कार्यवाही को समाप्त किया जाना है। हालाँकि, उसी समय, पंजीयक के पास धारा 109 (1) के तहत निर्धारित 6 वर्षों की अवधि को बढ़ाने की शक्ति है, जो एक बार में एक वर्ष और कुल मिलाकर चार वर्ष से अधिक और अधिकतम 10 वर्षों के लिए नहीं है। यदि समय नहीं है विस्तारित, समापन 6 साल की समाप्ति पर या विस्तारित अवधि के अंत में समाप्त हो जाता है। कुल अवधि 10 वर्ष हो सकती है। धारा 109 के दूसरे परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि पंजीयक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परिसमापक द्वारा परिसमापन का कार्य उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से पूरा नहीं किया जा सका है, तो वह परिसमापक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, यदि पंजीयक संतुष्ट होता है कि परिसंपत्तियों, संपत्तियों, संपत्तियों की बिक्री की वसूली अभी भी की जानी बाकी है, तो वह परिसमापक को पूरे काम को पूरा करने और केवल समापन के उद्देश्यों के लिए गतिविधियों को पूरा करने का निर्देश देगा और परिसमापक से रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

18. अधिनियम की धारा 109 (2) में एक गैर-अबाधित खंड है जो पंजीयक को रसीद पर परिसमापन कार्यवाही को समाप्त करने का अधिकार देता है।

परिसमापक से अंतिम रिपोर्ट। परिसमापक रिपोर्ट में बताएगा कि सोसाइटी की परिसमापन कार्यवाही बंद कर दी गई है, और परिसमापन कैसे किया गया है और सोसाइटी की संपत्ति और दावों का निपटान कैसे किया गया है और इसमें परिसमापन की लागत, परिसमापन में सोसाइटी की ऋण राशि, यदि कोई हो, सदस्यों के हिस्से या ब्याज सहित अपनी 'देनदारियों' का भुगतान करने के बाद, सहित परिसमापन के खाते का सारांश दिखाने वाला एक विवरण शामिल होगा और सुझाव देगा कि अधिशेष का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए।

19. अधिनियम की धारा 110 अधिशेष परिसंपत्तियों के निपटान से संबंधित है। उन्हें या तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ पंजीयक द्वारा अपने सदस्यों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए, यदि वे निर्दिष्ट करते हैं कि इस तरह के अधिशेष का उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाएगा या दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

20. यह स्पष्ट है कि परिसमापन की समाप्ति पर

गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सदस्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए उनके दायित्व पर कार्रवाई करता है।

वी. कृष्ण नाथ ए। (घ) टीएचआर। एलआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

समाप्त नहीं होता। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार समापन अवधि समाप्त हो जाने के बाद, सदस्यों द्वारा प्राप्त ऋणों के लिए दायित्व जो उनके हाथों में है, और जिसके लिए वसूली की कार्यवाही की जाती है।

लंबित समाप्त हो जाएगा। सदस्यों के खिलाफ वसूली कार्यवाही को स्वचालित रूप से समाप्त करने पर विचार नहीं किया गया है। दूसरी ओर, सोसायटी के परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि पूरी होने पर, सदस्यों के हिस्से या ब्याज सहित अपनी देनदारियों का भुगतान करने के बाद परिसमापन में सोसाइटी के क्रेडिट में खड़ी राशि के बारे में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रकार, परिसमापन के मामले में भी अधिशेष के प्रति जवाबदेही बनी रहती है और देनदारियां समाप्त नहीं होती हैं। भले ही सोसायटी के परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो, लेकिन इससे वसूली की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है जो शुरू की गई है और अपीलें लंबित हैं।

21. यह एक स्थापित कानून है कि जब अदालत द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है, तो किसी भी व्यक्ति को उसकी ओर से बिना किसी गलती के पीड़ित नहीं किया जा सकता है और

अमरजीत सिंह बनाम। देवी रतन, (2010) 1 एस. सी. सी. 417, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के कार्य से पीड़ित नहीं हो सकता है और अंतरिम आदेश के पक्ष द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए। न्यायालय को कभी भी किसी वादी को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके अवैधता को कायम रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना अदालत का बाध्यकारी कर्तव्य है कि बेईमानी और कोई भी प्रयास कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जाना चाहिए और अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग से किसी के लिए कोई गलत, अनधिकृत या अन्यायपूर्ण लाभ न हो। किसी को भी अनुचित लाभ या अन्यायपूर्ण लाभ अर्जित करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति की अवधारणा का उद्देश्य और सही अर्थ तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालतें मामलों से निपटने में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाती हैं। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 18. राम कृष्ण वर्मा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1992) 2 एस. सी. सी. 620, इस न्यायालय ने इस पर भरोसा करते हुए इसी तरह के मुद्दे की जांच की। ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम में इसका पूर्व निर्णय। आई. टी. ओ., (1980) 2 एस. सी. सी. 191 और अभिनिर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के अधिनियम से पीड़ित नहीं हो सकता है और यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है और याचिकाकर्ता इसका लाभ उठाता है और अंततः याचिका बिना किसी योग्यता के पाई जाती है और खारिज कर दी जाती है, तो न्याय के हित के लिए यह आवश्यक है कि [2019] 10 एस. सी. आर. द्वारा प्राप्त कोई भी अनुचित या अनुचित लाभ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष को होना चाहिए

तटस्थ "।

(जोर दिया गया)

22. प्रतिपूर्ति का सिद्धांत अदालतों को ऐसा करने का कर्तव्य देता है

अंतिम निर्णय के समय पक्ष को पूर्ण न्याय, और मामले की तथ्य स्थिति में अंतरिम आदेश के प्रभाव को समाप्त करना। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एम. पी. राज्य, (2003) 8 एस. सी. सी. 648, यह देखा गया कि कोई भी पक्ष मुकदमेबाजी का लाभ नहीं उठा सकता है, उसे देरी के कारण प्राप्त लाभ को समाप्त करना पड़ता है, यदि एल. आई. एस. खो जाता है।

23. पुनर्स्थापन की अवधारणा एक सामान्य कानून सिद्धांत है और यह है

अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ के खिलाफ एक उपाय। अदालत का उपयोग किसी वादी द्वारा अवैधता को कायम रखने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो कानून के सही पक्ष में है, उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि यदि उसे मुकदमेबाजी में घसीटा जाता है, और जीत जाता है, तो वह 20 या 30 वर्षों के बाद एक वास्तविक लाभकर्ता के रूप में हारने वाला और गलत करने वाला बन जाएगा। इस प्रकार, जिन सदस्यों ने अपील में या वसूली की कार्यवाही पर रोक प्राप्त कर ली है या मामला लंबित है, वे इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं कि अधिनियम के तहत परिसमापक के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है।

24. एक बार रिपोर्ट जमा हो जाने के बाद, पंजीयक को लेना होता है

रिपोर्ट के संदर्भ में कार्रवाई और ऐसी परिस्थितियों में जब सदस्यों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही लंबित है और सोसायटी ने अपने सदस्य के लिए बैंकों से ऋण लिया है, तो वास्तविक धन को

लेनदार यानी उस बैंक में जाएँ जो सदस्यों के हाथों में सार्वजनिक धन की वसूली से लाभान्वित होने वाला है। ऐसे मामलों में

पंजीयक के लिए उचित होगा कि वह कार्यवाही की सूचना उस व्यक्ति को भेजे जिसे वसूली से लाभ होना है। तत्काल मामले में, बैंक स्वयं एक प्रमुख ऋणदाता सह परिसमापक है। कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, यह बैंक के लिए खुला है कि वह वसूली की कार्यवाही जारी रखे और वसूली करे

चूक करने वाले सदस्यों से। केवल सोसायटी के परिसमापन पर, या इस तथ्य पर कि परिसमापन के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है, ऋणों के लिए सदस्यों के दायित्व को समाप्त नहीं कहा जा सकता है। मनमाने तरीके से ऋण का वितरण और वसूली में विफलता ही वह आधार था जिसके आधार पर सोसायटी को बंद करने का आदेश दिया गया था।

गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वी. कृष्ण नाथ ए। (घ) टीएचआर। एलआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

25. इसके विपरीत उच्च न्यायालय का निर्णय ए होने का हकदार है।

और इसके द्वारा अलग रखा जाता है। हालांकि कार्यवाही समाप्त होने के बाद परिसमापक जारी नहीं रह सकता है। ऐसे मामलों में नोटिस जारी किया जाना चाहिए

न्यायालय/न्यायाधिकरणों/वसूली अधिकारियों आदि के साधनों में लंबित कार्यवाहियों को जारी रखना। हमारा मानना है कि अपीलकर्ता बैंक लंबित कार्यवाही जारी रख सकता है। अपील की अनुमति उपरोक्त को दी जाती है। हद तक।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन